भारत सरकार

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 915

28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर

**जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य कर्मियों को विलम्ब से वेतन दिया जाना**

915. **श्री नज़ीर अहमद लवाय:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार की आरएनटीसीपी, एनआरएचएम और नेशनल एैड्रस कंट्रोल प्रोग्राम आदि विभिन्न स्कीमों के तहत जम्मू एवं कश्मीर राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों/डॉक्टरों को महीने या साल भर के बाद वेतन मिलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को हर महीने समय से वेतन दिलाने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क) से (ग): राज्‍य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत सरकार की योजनाओं जैसे आरएनटीसीपी, एनआरएचएम, आदि के तहत जम्‍मू व कश्‍मीर में कार्यरत कर्मचारी/चिकित्‍सक नियमित आधार पर वेतन प्राप्‍त कर रहे हैं। तथापि, वित्‍तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्‍य के राजकोष के माध्‍यम से निधियां जारी की गई थीं जिसके कारण निधियों को जारी करने में प्रक्रिया संबंधी कुछ विलंब हुआ।

\*\*\*\*\*\*